न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 10/2024

अनवान : –

1. दलीपसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर। **–प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। **– अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपरिथति :– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 24/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 288/281 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 396/374 की कुल 7.9690 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि एवं रोही मौज चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 78/77 की कुल 4.8070 हैक्ट में से 1/10 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 108/103 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में से 316/1581 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.2110 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र रूपराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में दलिप सिंह पुत्र रूपाराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दलिप पुत्र रूपराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम दलीप सिंह पुत्र रूपाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड मुें दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल क[illegible] में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 11:37:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible] सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मि[illegible] किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दलिप सिंह पुत्र रूपाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में

प्रार्थी का नाम दलिप रूप रूपराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दलिप सिंह पुत्र रूपाराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 288/281 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 396/374 की कुल 7.9690 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि एवं रोही मौज चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 78/77 की कुल 4.8070 हैक्ट में से 1/10 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 108/103 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में से 316/1581 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.2110 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम दलिप पुत्र रूपाराम के स्थान पर दलिप सिंह पुत्र रूपाराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम दलिप सिंह पुत्र रूपाराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 288/281 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एव रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 396/374 की कुल 7.9690 हैक्ट भूमि एवं रोही मौज चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 78/77 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 108/103 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.2110 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम **दलिप पुत्र रूपराम के स्थान पर दलिपसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच दलिप पुत्र रूपराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का दलिप पुत्र रूपराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम दलिप पुत्र रूपराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/4/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील शरह रिकार्ड काम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Gadhwal
Date: 2024.12.18 11:37:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)** दिनांक : 29/04/24

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/388

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 10/2024 अनवानी दलिपसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 10/2024

अनवान : –

1. दलीपसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर। **–प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। **– अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 288/281 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एव रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 396/374 की कुल 7.9690 हैक्ट भूमि एवं रोही मौज चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 78/77 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 108/103 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.2110 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम **दलिप पुत्र रूपराम के स्थान पर दलिपसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट साकिन रामगढ़ का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच दलिप पुत्र रूपराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का दलिप पुत्र रूपराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम दलिप पुत्र रूपराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 11:37:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर